संख्या-44 /2021/353 /30-3-2021

प्रेषक,

मदन मोहन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 30 मार्च, 2021

विषय :- सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु लागत आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-108ए/2021-13ए/2016, दिनॉक 22-01-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में नयी मांग के माध्यम से सारथी हॉल सहित दो अन्य संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों के निर्माण हेतु परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में मद संख्या-20 का सृजन कर रू0 200.00 लाख का प्राविधान किया गया है। उक्त क्रम में सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत लागत आगणन रू0 1016.85 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 991.19 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित प्रथम किश्त की धनराशि रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	प्राप्त प्रस्ताव/ कार्यदायी संस्था का नाम (रू0 लाख में)	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमोदित/संस्तुत लागत (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत हेतु धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5
1	सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, शामली	**1016.85** उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	**991.19**	**200.00**
			योग -	**200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)**

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसकी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(5) प्रशासकीय विभाग योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित कर लेंगे।

(6) कार्य की विशिष्टयॉ मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(7) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(8) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(9) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में नई मांग के माध्यम से परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के "लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य में सृजित मद संख्या-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यूओ0-ई-9-244/दस-2021, दिनांक 30 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

संख्या-44/2021/353(1)/30-3-2021, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी- शामली।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in